न्याय अदालत उपखण्ड अधिकारी ...

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम ऑ॰ मु॰ रास्ता (भौमा) ... तहसील, झालरा)

किस्म मुकदमा ऑ॰ मु॰ रास्ता (झालरा) नम्बर 844/2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| .9/23 | पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से ऑ॰ मु॰ रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर समस्त पक्षकारान को मय नोटिस रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11/10/23 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>(राजवीर सिंह यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना (राज.) | |
| 11/10/23 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/10/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 20/10/23 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 11/12/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 11/12/23 | पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. / 2023 / 3165 दिनांक 02.8.2023 | |

द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का रा
अभिलेख में अंकन करने ग्राम **झालरा** पटवार मण्डल **दयाल**
नांगल तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **1435/**
किस्म गै.मु.डूंगरी कुल रकबा **4.91 है0** में से **रकबा 0.05 है0**, ख
**987** किस्म गै.मु.बेहड़ कुल रकबा **15.17 है0** में से **0.26 है0**, ख
**983** किस्म गै.मु.पाल कुल रकबा **0.08 है0** में से **सम्पूर्ण रकबा**
गुजरने वाला रास्ता **भैय्या बाबा से बाबा की तलाई तक** का प्रस
तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्र
हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बता
गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते
फोटो ग्राफ सलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास
दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात
अवलोकन करने एवं जॉच करने के पश्चात राजस्थान भू-राज
अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थ
भू-राजस्व-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66
प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावि
सलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि
से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जा
का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधि
खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस
अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खस
नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्त
दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार
नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग
रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार
नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
[illegible]र से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर [illegible]